



The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से मुकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 3491 No. 3491

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2012/आषाढ़ 20, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2012/ASADHA 20, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 556(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सरित अधिकरण आंधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज सम्बन्धों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सपस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्ते और जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषड़ सम्बन्धों की नियक्ति की रीति. अक्रमक्ष और अन्य सब्दर्शों के वेतन, अते और सेवा के अन्य नित्रंघन तथा शर्ते और जांच की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2012 है।
- 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- ग्राष्ट्रीय इरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, असे और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्ते और जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-
- "(3) चयन समिति = अधिकरण कं न्यायिक भौर विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति कंन्द्रीय शाश्कार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी :-
- (क) विशि और न्याय मंत्री के प्रश्मर्श से भारत के मुख्य न्यायमर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया खाकेग्रामाण प्रकारमा न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश - अध्यक्ष :
- (ख) अधिकरण का अध्यक्ष सदस्य ;
- (ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (चक्रानुक्रम में) सदस्य :
- (घ) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण नीति विशेषज्ञ सदस्य :

2550 GI/2012

- (ङ) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वन नीति विशेषज्ञ सदस्य ;
- (च) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य सचिव ।" ।
- उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) में, "यदि आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "निम्मिलिखत से मिलकर बनने वाली समिति :
- (i) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अपर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- (ii) पर्धाप्यक्ष और वन संत्री द्वारा डामनिर्दिष्ट किया जाने क्षाला अपर महानिदेशक वन, की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, और
- (iii) सर्विय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने बाला पर्यावरण और वन मंत्राएएय में उस विषय से संबंध पर्याण बाला संयुक्त सर्विय, जो सदस्य-समन्वय होगा" श्राप्य पर्थ जाएंगे ।
- 5. एएस नियमों के नियम 6 फे स्थान पर जिम्नलिखित नियम एखा जाएगा, अर्थात :-

"6. वित्तीय का अन्य हित को शोषणा = (1) प्रत्येक व्यक्ति, व्यवस्थित, व्यवस्था में व्यवस्था के स्वतं ये अपनी नियुक्ति पर इन नियमों से व्यवस्था के क्या में अपनी नियुक्ति पर इन नियमों से व्यवस्था के के स्वी स्वतं सरकार के सम्प्रकासकात कर से सोपणा अरेगा कि उत्तरका कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है ; या वह सत्याओं में मारत सरकार, साव्य सरकार, बोर्ड और स्वास्था में मारत सरकार, साव्य सरकार, बोर्ड और स्वास्था में वित्तविद्य करने के लिए मी जहां स्ववस्था में संस्थित कोई सारवान प्रश्न अंतर्वतित है, और ऐसा प्रश्न राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची । में शिनिविद्य अधिकारीमिशियों के विन्यामक कार्यान्यवन या स्वासी मा निवंधकारी उपायों उपायों के स्वतं होता है संस्था स्वतं सारवान प्रयासिक स्वतं प्रयासिक स्वतं सारवान प्रयासिक स्वतं सारवान प्रयासिक स्वतं सारवान प्रयासिक स्वतं सारवान प्रयासिक स्वतं प्रयासिक स्वतं सारवान सारवान सारवान प्रयासिक स्वतं सारवान सारवा

- (2) पहले से ही इस प्रकार नियुक्त न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य एम विनिश्चयों से, जिनमें दित का द्वंद्व है, (विमुख हो जाएंगे) अलग हो जाएंगे ।
- एफ्स नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) में जिम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु यह कि, यथास्थिति, अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ श्रवस्य की छुट्टी मंजूर करने पाणा सक्षम प्राधिकाशे सन्तत सो बाहर यात्रा क्रस्ते के लिए छुट्टी मंजूर करने के लिए सम्बन्ध होगा ।"

7. इन नियमों से उपाबद्ध 'प्ररूप' के स्थान पर निम्नलिखित 'प्ररूप' रखा जाएगा, अर्थात :-

"प्ररूप

(नियम 6 देखें)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरूद्ध घोषणा

में ... राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक रोक्ट्य या विशेष्ठ सदस्य (जो भाग लागू न हो ऐसे फीट दें) के सम में नियुक्त होने पर सरयनिवा से और प्रतिज्ञान से स्केष्णम सम्मात है कि नेश कोई ऐस विसीय या अन्य हित नहीं है ; या मैं भारत सरकार, राज्य रास्कार, बोर्ड और स्थायन निकायों के स्मार पर विश्वारिक करने में और उन विषयों में विनिश्यय करने में जहां पर्यायण से सर्विद्याद परिवारण से स्विद्याद परिवारण से स्विद्याद करने में अपने पर्यायण से स्विद्याद करने में अपने पर्यायण से स्विद्याद परिवारण से स्विद्याद स्विद्याद के स्विद्याद स्थायन से स्वद्याद स्विद्याद स्विद्याद स्वर्य स्वाप्त से अपने स्वर्य से स्वर्यन होता है, जिससे राष्ट्रीय हित्र अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक संवर्य विद्याद स्वर्य (जो समा लागू न हो ऐसे फीट हो) के एक में मेरे कामकाज पर प्रतिकृत प्रमाव पड़ने जी संभावना है, संबंधित नहीं रहते हों हों.

तारीख : स्थान : (अध्यक्ष/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य का नाम) राष्ट्रीय हरित अधिकरण टिष्पण: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विश्वेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य लालां के वेतन, मत्ते और सेवा के अन्य निवंधन तथा शतें और जांच की प्रक्रिया) निवम, 2010 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 927(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2010 में प्रकाशित किए गए थे I

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 35 read with sub-section (3) of Section 6 of the National Green Tribunal Act, 2010 (No. 19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) Rules, 2010.

 These rules may be called 'the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) (Amendment) Rules, 2012'.

- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- For rule 3 of the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members Rules, 2010 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:—
 - $\hbox{*(3) Selection Committee.} \label{thm:committee} The Judicial Members and Expert Members of the Tribunal shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee comprising the following, namely:—$
 - (a) Sitting Judge of the Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India in consultation with the Minister for Law and Justice—Chairperson;
 - (b) Chairperson of the Tribunal-Member;
 - (c) Director, Indian Institute of Technology, (By rotation) Member;
 - (d) An expert in Environmental Policy to be nominated by the Minister for Environment and Forests-Member;
 - (e) An expert in Forests Policy to be nominated by the Minister for Environment and Forests-Member;
 - (f) Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests—Member-Secretary".
- 4. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (3), for the words "if necessary, by the Central Government" the words "by a committee comprising:
 - (i) Additional Secretary, Ministry of Environment and Forests, to be nominated by the Minister for Environment
 - (ii) An officer not below the level of Additional Director General of Forests, to be nominated by the Minister for Environment and Forests, and
 - (iii) Joint Secretary, dealing with the subject matter in the Ministry of Environment and Forests to be nominated
 - by the Secretary, who shall be the Member-Convenor" shall be substituted.
 - 5. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :-
 - "6. Declaration of financial or other interest.—(1) Every person, on his appointment as the Chairperson or the Judicial Member or the Expert Member, as the case may be, shall give a declaration in a form appended to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interests, or has not been involved either as Member or as an Official in institutions at the level of Government of India, States Government, Boards and Autonomous Bodies in making recommendations and also in decision-making in maters where a substantial question relating to environment (including enforcement of legal right relating to environment) is involved and such question arises out of the implementation of the regulatory or prescriptive or directory measures of the enactments specified in Schedule 1 of the National Green Tribunal Act, 2010, that are likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or the Judicial Member or the Expert Member, as the case may be.

- (2) The Judicial and Expert Members already so appointed shall withdraw (recuse themselves) from decisions that present potential conflicts."
- 6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (5); the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the leave sanctioning authority for the Chairperson, Judicial and Expert Member, as the case may be, shall be competent to sanction leave for mayel outside India."

7. For 'Form' appended to the said rules, the following 'Form', shall be substituted, namely :-

"FORM

(See rule 6)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

Dated:

(Name of the Chairperson/Judicial Member/Expert Member) National Green Tribunal

Place:

[F. No. 17(1)/2010-PL] SURJIT SINGH, Jt. Secv.

Note: The National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) Rules, 2010 were published in the Gazette of India vide notification No. G.S. R. 927(E), dated the 26th November, 2010.